न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 604 / 2021

अनवान : –

1. मोनू पुत्र सुरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहमण निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।

– वादी

बनाम्

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहम्ण निवासी थिराना तहसील नोहर
2. रिकु पुत्र सुरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहम्ण निवासी थिराना तहसील नोहर
3. ओमप्रकाश पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहम्ण निवासी थिराना तहसील नोहर
4. रणजीत पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहम्ण निवासी थिराना तहसील नोहर
5. रूकमणी देवी पत्नी सन्तलाल जाति ब्राहम्ण निवासी थिराना तहसील नोहर
6. राजकमल पुत्री सन्तलाल जाति ब्राहम्ण निवासी थिराना तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
8. उप पंजीयक महोदय नोहर उप तहसील खुईया तहसील नोहर ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 01/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2072–2075 के खाता सं. 356 / 231 के ख.न. 241 / 4 की 1.9600 हैक्टर, ख.न. 381 / 2 की 0.9100 हैटर ख.न. 383 / 2 की 0.5060 हैक्टर ख. न. 385 / 1 की 0.6320 हैक्टर ख.न. 397 / 1 की 2.5800 हैक्टर ख.न. 397 / 8 की 0.506 हैक्टर कुल 6 खसरो की 7.0040 हैक्टर भूमि में से सुरेन्द्र कुमार का 1 / 5 हिस्सा है तथा रोही मोजा सुरजनसर तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2070–2073 के खाता सं. 272 / 249 के ख.न. 110 / 3 की 2.5300 हैक्टर भूमि में सन्तलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 एवं सन्तलाल जो की वादी का दादा है के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है सन्तलाल फौत हो चुका है उनके वारिसान प्रतिवादी सं. 1 तथा प्रतिवादीगण सं. 3 ता 6 है का जन्म से हक व हिस्स है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 का 1 / 5 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 3 ता 6 का प्रत्येक का 1 / 5, 1 / 5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि वादी के पड़दादा नानकराम के नाम थी नानकराम की मृत्यु के बाद हिन्दु कर्ता खानदान होने के कारण अकेले सन्तलाल के नाम दर्ज हो गई जबकि उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 जो सन्तलाल के वारिस है का खाता सं. 356 / 231 की रोही मौजा थिराना का तो सन्तलाल के फौत होने के बाद विरास्तान नामान्तरण दर्ज हो चुका है। लेकिन रोही मौजा सुरजनसर की कृषि भूमि के खाता संख्या 272 / 249 की कृषि भूमि अभी भी सन्तलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का बाई बई राईट के हकदार है [illegible] से करवापाने के अधिकारी है। रोही मौजा थिराना की जमाबन्दी सम्बत 2072–207[illegible] सं. 356 / 231 की कुल 6 खसरो की 7.0940 हैक्टर भूमि में से 1 / 5 [illegible] रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2070–2073 के खाता सं. 272 / 249 की कुल [illegible] 2.5300 हैक्टर भूमि में सन्तलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण [illegible] 2 का सयुक्त रूप से 1 / 5 हिस्सा ब.हि.ब. है तथा प्रतिवदीगण सं. 3 ता 6 का प्रत्येक का 1 / 5, 1 / 5 हिस्सा ब.हि.ब. है जो दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण जन्म जात हक व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:04:33 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा के हकदार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 एवं सन्तलाल जो की वादी का दादा है के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है सन्तलाल फौत हो चुका है उनके वारिसान प्रतिवादी सं. 1 तथा प्रतिवादीगण सं. 3 ता 6 है का जन्म से हक व हिस्स है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 3 ता 6 का प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि वादी के पड़दादा नानकराम के नाम थी नानकराम की मृत्यु के बाद हिन्दु कर्ता खानदान होने के कारण अकेले सन्तलाल के नाम दर्ज हो गई जबकि उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 जो सन्तलाल के वारिस है का खाता सं. 356/231 की रोही मौजा थिराना का तो सन्तलाल के फौत होने के बाद विरास्तान नामान्तरण दर्ज हो चुका है। लेकिन रोही मौजा सुरजनसर की कृषि भूमि के खाता संख्या 272/249 की कृषि भूमि अभी भी सन्तलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का बाई बई राईट के हकदार है जिसकी घोषणा न्यायालस से करवापाने के अधिकारी है। रोही मौजा थिराना की जमाबन्दी सम्बत 2072–2075 के खाता सं. 356/231 की कुल 6 खसरो की 7.0940 हैक्टर भूमि में से 1/5 हिस्सा सुरेन्द्र कुमार का है तथा रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2070 2073 के खाता सं. 272/249 की कुल तादादी 2.5300 हैक्टर भूमि में सन्तलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 का सयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा ब.हि.ब. है तथा प्रतिवदीगण सं. 3 ता 6 का प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा ब.हि.ब. है जो दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण जन्म जात हक व हिस्सा के हकदार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 356/231 की कुल 7.0940 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के [illegible] तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 272/249 की कुल [illegible] भूमि सन्तलाल के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रतिवादी स0 1 के नाम [illegible] से अपने हक हिस्सा हेतु एवं रोही मौजा सुरजनसर की भूमि [illegible] नाम दर्ज है में से अपने हक हिस्सा की घोषणा हेतु यह वाद पेश किया गया है। वादी द्वा[illegible] प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक वादी के दादा सन्तलाल का देहान्त हो चुका है एवं वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 एवं सन्तलाल के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:04:33 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
आज्ञाप्त अधिकारी
नोहर

वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 व सन्तलाल के नाम दर्ज है प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि जो की पैतृक भूमि है में वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 को बहिब व सन्तलाल के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी स0 3 ता 6 प्रत्येक को 1/5 हिस्सा भूमि व वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 को बहिब 1/5 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वाद भूमि पैतृक होने के कारण एवं वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 356/231 की कुल 7.0940 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 272/249 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि सन्तलाल के नाम दर्ज है, में सन्तलाल का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 3 ता 6 प्रत्येक को 1/5 हिस्सा भूमि के एवं वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 को बहिब 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....01/05/26.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:04:33 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 604/2021

अनवान : –

1. मोनू पुत्र सुरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहमण निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।

– वादी

बनाम्

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहम्ण निवासी थिराना तहसील नोहर
2. रिकु पुत्र सुरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहम्ण निवासी थिराना तहसील नोहर
3. ओमप्रकाश पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहम्ण निवासी थिराना तहसील नोहर
4. रणजीत पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहम्ण निवासी थिराना तहसील नोहर
5. रूकमणी देवी पत्नी सन्तलाल जाति ब्राहम्ण निवासी थिराना तहसील नोहर
6. राजकमल पुत्री सन्तलाल जाति ब्राहम्ण निवासी थिराना तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
8. उप पंजीयक महोदय नोहर उप तहसील खुईया तहसील नोहर ।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 604 सन 2021 निर्णय दिनांक 01/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 356/231 की कुल 7.0940 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 272/249 की कुल 2. 5300 हैक्ट भूमि सन्तलाल के नाम दर्ज है, में सन्तलाल का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 3 ता 6 प्रत्येक को 1/5 हिस्सा भूमि के एवं वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 को बहिब 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....01/05/26.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:04:33 IST
Reason: SelfAttested